

447(5)  
16/01/2020

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग**  
**अधिसूचना**

1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046 (एस) दिनांक-06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण-दोषों की समीक्षा की जायेगी।

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:-

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।


(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।


बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448(5) / पटना, दिनांक-16/01/2020  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,


पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क०पृ०उ०

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020


प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020


प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020


प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448 (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।